

# कार्यालय:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या - 42

राँची-2, दिनांक-27/6/16

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

समिति द्वारा दिनांक 06.04.2016 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 14 दिनांक 21.04.2016 द्वारा निर्धारित दर को विलोपित करते हुए पुनः दिनांक 20.06.2016 को बैठक में समिति द्वारा निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वनों के संवर्धन, जल एवं भू-संरक्षण तथा प्राकृतिक पुर्नजनन हेतु दरें अगले पुनरीक्षण तक लागू रहेगी।

**योजना का नाम : वनों का संवर्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन जल एवं भू संरक्षण योजना पथरीली (कड़ी मिट्टी)**

कार्य दर प्रति हे0 :  
मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) : 221.61

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	
(A)	प्रथम वर्ष						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	664.83	0.00	664.83	
2	झारी सफाई	हे0	7	1551.27	0.00	1551.27	आवश्यकतानुसार।
3	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे0	10	2216.10	0.00	2216.10	आवश्यकतानुसार।
4	पत्थर घेरान- ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी0 ऊँचाई 1.00 मी0	चेन	25	5540.25	0.00	5540.25	आवश्यकतानुसार।
5	झाड़ी घेरान	चेन	6	1329.66	25.00	1354.66	आवश्यकतानुसार।
6	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर )	प्रति चेन  प्रति हे0 औसतन 6 चेन	(2)  12	(443.22)  2659.32	(1963.79)  11782.74	(2407.01)  14442.06	प्रति हे0 ट्रेंच घेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु वास्तविक स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - कंटूर ट्रेंच - 120, कंटूर साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		97	21496.17	500.00	21996.17	बीज का क्रय/संग्रहण कर कंटूर ट्रेंच के बर्म पर बोया/छिड़काव किया जाएगा।
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि		25	5540.25	0.00	5540.25	
9	गली प्लगिंग	हे0	10	2216.10	0.00	2216.10	

10	वन की सुरक्षा (प्रति 50 हे० तक के लिए एक मानव दिवस)	स्थल	5.5	1218.86	0.00	1218.86	50 हे० से अधिक एवं 100 हे० तक में दो मानव दिवस अनुशंसित है।
	कुल योग—		200.5	44432.81	12307.74	56740.55	
(B)	द्वितीय वर्ष						
1	सिंगलिंग कार्य	हे०	4	886.44	0.00	886.44	
2	वन की सुरक्षा	हे०	7.3	1617.75	0.00	1617.75	
	कुल योग—		11.3	2504.193	0.00	2504.19	
(C)	तृतीय वर्ष						
1	वन की सुरक्षा	हे०	7.3	1617.75	0.00	1617.75	
	कुल योग—		7.3	1617.75	0.00	1617.75	
	सकल योग—		219.1	48554.75	12307.74	60862.49	

- यह कार्य अधिसूचित वन भूमि पर किया जायेगा।
- कन्टूर ट्रेन्च पर चिरौंजी, साल, सूबवूल, अकेसिया, चकुण्डी, घास इत्यादि के बीज बोये/छिड़काव किए जायेंगे।
- यदि प्राकृतिक प्रजातियों के पौधे उपलब्ध नहीं है तो वन संवर्धन का कार्य नहीं किया जायेगा।
- कन्टूर ट्रेन्च में मिट्टी नीचे ढलान की तरफ रखी जाये।

ह० /—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक—                      दिनांक—

प्रतिलिपि—


- प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
  - प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
  - प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
  - प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह— कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्वद, झारखण्ड, रांची
  - सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
  - सभी मुख्य वन संरक्षक
  - सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
  - सभी वन संरक्षक
  - सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक— 876                      दिनांक— 27/6/16

प्रतिलिपि : इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
25/6/16  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
विकास, झारखण्ड, रांची